

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :-270/2022
GCMS NO:- 2022/461

दायर दिनांक: 02.11.2022
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

1. शान्तिलाल आ0 गणपतलाल जाति महाजन नि0 बाछोला तहसील नैनवाँ। (मृतक)।
 - 1/1. मंजू पुत्री स्व0 शांतिलाल महाजन नि0 बाछोला हाल पत्नी महावीर प्रसाद जाति महाजन नि0 इन्द्रा कॉलोनी, उंचा जिला भीलवाडा।
 - 1/2. आशा पुत्री स्व0 शांतिलाल महाजन नि0 बाछोला हाल पत्नी कैलाशचन्द महाजन नि0 कुम्हार मोहल्ला महुवा पोस्ट महुवा जिला भीलवाडा।
 - 1/3. संजू पुत्री स्व0 शांतिलाल महाजन नि0 बाछोला हाल पत्नी विनोद कुमार जाति महाजन नि9 महुवा पोस्ट महुवा जिला भीलवाडा।
 - 1/4. मधू पुत्री स्व0 शांतिलाल महाजन नि0 बाछोला हाल पत्नी राजेश जाति महाजन नि0 आकोला (पुरावतो का) पोस्ट कोदूकोटा जिला भीलवाडा।
 - 1/5. रामलक्ष्मण पुत्र स्व0 शांतिलाल महाजन नि0 बाछोला हाल नि0 श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा।
 - 1/6. चन्दा पुत्री स्व0 शांतिलाल महाजन नि0 बाछोला हाल पत्नी राजेन्द्र जाति महाजन नि0 आसोप पोस्ट बोईडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
 - 1/7. कोशल किशोर पुत्र स्व0 शांतिलाल महाजन नि0 बाछोला तहसील नैनवाँ।
 - 1/8. निरमा पुत्री स्व0 शांतिलाल महाजन नि0 बाछोला हाल पत्नी लोकेश जाति महाजन नि0 दूनी तहसील दूनी जिला टोंक।
 - 1/9. हरीश पुत्र स्व0 शांतिलाल जाति महाजन नि0 बाछोला तहसील नैनवाँ।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल आ0 काल्या जाति माली नि. बाछोला हाल नि0 समीधी तहसील नैनवाँ।
2. हरिराम आ0 बाबूलाल दत्तक पुत्र कजोड जाति माली नि. मालियों का मोहल्ला, मेन चौराहा बाछोला तहसील नैनवाँ।
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब, नैनवाँ जिला बून्दी।

—प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्र- अंतर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

उपस्थिति-

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

:-निर्णय:-

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बाछोला मे प्रार्थी के खातेदारी कब्जे की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1137, 1393, 1492, 151, 1536, 1537, 1538, 1542, 1547, 1676, 2111/1353, 84, 85, 967 कुल किता 14 कुल रकबा 7.3134 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान मे से खसरा नम्बर 1547 एवं 1542 पर आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 1566 किस्म गै0मु0 रास्ता जो नैनवाँ-बाछोला-सुरगली डामर पक्का रोड पर स्थित है, पर से होता हुआ पूरब दिशा मे स्थित अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1548 मे होता हुआ प्रार्थी के उक्त खेत मे पहुँचता है जो 20 फीट चौडा है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। उक्त रास्ता वर्षो पुराना है जिससे होकर प्रार्थी अपने उक्त खेतों पर पेदल ट्रेक्टर ट्रौली से निरन्तर निर्बाध आवागमन कर रहा है एवं प्रार्थी को सुखाधीकार भी प्राप्त हो चुका है जिससे उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाना आवश्यक हो चुका है।

यह कि प्रार्थी ने दिनांक 21.10.2022 को अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 से उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थी को कोर्ट मे कार्यवाही पेश करने हेतु निर्देशित किया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के उक्त रास्ते को हांक कर बंद करने व उक्त स्थान से प्रार्थी को कोई रास्ता नही देने बाबत् धमकी दी जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेतों पर पहुँचने का अन्य कोई रास्ता राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही है तथा रास्ते के एवज मे जो भूमि दर्ज होगी उसके लिए प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 04.07.2023 को एकपक्षीय

M

कार्यवाही की जा चुकी है। तहसीलदार नैनवाँ की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/1356 दिनांक 16.6.2025 से प्राप्त हो चुकी है।

बहस प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बाछोला स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1547 व 1542 पर आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 1566 किस्म गै0मु0 रास्ता जो नैनवाँ-बाछोला-सुरगली डामर पक्का रोड पर स्थित है, पर से होता हुआ पूरब दिशा में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1548 में होता हुआ प्रार्थी के उक्त खेत में पहुंचता है जो 20 फीट चौड़ा है, को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु श्रीमान के न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र 251क पेश किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार साहब नैनवाँ द्वारा रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार साहब नैनवाँ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 16.6.2025 में प्रार्थी के खेत में पहुंचने के लिए रिकॉर्डेड गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1522 से खसरा नम्बर 2385/1512, 1521, 1513, 1520, 1529, 1519, 1532 खातेदारी भूमि एवं खसरा नम्बर 1541 गै0मु0 रास्ता से प्रचलित रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालू होना बताया है जबकि उक्त प्रचलित रास्ता वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा बंद किया हुआ है। यदि उक्त रास्ता चालू होता तो प्रार्थी को रास्ते का प्रार्थना पत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि या तो प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे अथवा तहसीलदार साहब नैनवाँ द्वारा दिनांक 16.6.2025 से जो रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्राप्त हुई है, में अंकित प्रचलित रास्ते का खुलासा करवाया जावे जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि में आ जा सकें एवं कृषि कार्य कर सकें।

प्रार्थी की ओर की विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली, संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार नैनवाँ की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान 1547 व 1542 पर जाने के लिए वर्तमान में प्रचलित रास्ता मौजूद है जिससे नवीन रास्ता कायम करना न्यायालय उचित नहीं समझता। लेकिन चूंकि प्रार्थी प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह निवेदन किया गया कि तहसीलदार नैनवाँ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 16.6.2025 में जो प्रचलित रास्ता चालू बताया गया है, मौके पर वर्तमान में संबंधित खातेदारान द्वारा बंद कर दिया गया है जिससे प्रार्थी को अपने खेतों में कृषि कार्य करने व आने जाने में परेशानी आती है अतः प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए मौके पर प्रचलित रास्ता विद्यमान होने से प्रार्थी को नवीन रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार नैनवाँ को इस आशय से तहरीर जारी की जावे कि यदि आप द्वारा दिनांक 16.6.2025 में अंकित प्रचलित रास्ता वर्तमान में मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया हो तो उसे खुलवाया जावे ताकि प्रार्थी को अपने खेतों में आने जाने अथवा कृषि कार्य करने में परेशानी ना हो।


निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ

प्रेषित:-

जमी - जमशा

ग्राम - काहला



1574

1563

1564

1558

1557

1568

1565

1566

1556

1566

1555

1539

1567

1553

1554

1540

1538

1551

1552

1537
गृह

वादी की खातेदारी अर्क

1548

1546

वादी की खातेदारी अर्क

1543

1548

1547

1536

1542

1541

1527

रेकॉर्ड रास्ता
1534

1531

1525

1528

1530

1532

1533

रेकॉर्ड रास्ता

1524

1529

1522

1519

1518

1517

1523

1521

1520

प्रचलित रास्ता

ग्राम पंचायत काहला
आवाडी

2385/1512

1514

1515

1516

उपखण्ड अधिकारी
नैनी (पुत्री)

2385/1512

1513

काहला

ILR काहला

2001/1511

1511

2006/1511